न्यायालयः— व्यवहार न्यायाधीश वर्ग— 01 एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, चन्देरी जिला—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारी:—जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर आर सी टी 298/17 दांडिक प्रकरण क.—59/17 संस्थापित दिनांक—06.09.17

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :
आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।
अभियोजन
विरुद्ध
01—धर्मेन्द्र पुत्र सुरेश रैकवार आयु 30 वर्ष निवासी
मुरादपुर, तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर (म0प्र0)
आरोपी
राज्य द्वारा :– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा :— श्री आर एस यादव अधिवक्ता।

—: <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 05.03.2018 को घोषित)

- 01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 294, 323, 506 भाग दो के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02- प्रकरण में कोई उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।

- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी एवं आहत से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादिव की धारा 294, 323/34 दो शीर्ष के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादिव की धारा 190 के संबंध में पारित किया जा रहा है।
- 04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी अशोक ने दिनांक 17.08.2017 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 17.08.2017 फरियादी के घर के सामने आम रास्ता मुरादपुर में शाम को 05:30 बजे आरोपी से उधारी के रूपये मांगने पर आरोपी ने गंदी—गंदी गालियां दी तथा गालियां देने से मना करने पर आरोपी ने बखा से मारा एवं मुक्के से भी मारा। और उसे पटक दिया जिससे उसे चोटें आई। फरियादी के अनुसार आरोपी ने रिपोर्ट करने से रोकने के लिए जान से मारने की धमकी दी थी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक 389/17 के अंतर्गत भादवि की धारा 294, 323, 506 भाग दो के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 05— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 294, 323/34 दो शीर्ष एवं 190 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।
- 06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - 1. क्या आरोपी ने दिनांक 17.08.17 को समय 17:30 बजे फरियादी के घर के सामने आम रास्ता मुरादपुर पर फरियादी अशोक को लोकसेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए

क्षति की धमकी दी ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

- 07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 अशोक, अ.सा.2 गुडडीबाई की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।
- 08— अभियोजन साक्षी 01 अशोक, ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनाक को उसका आरोपी से वाद विवाद हो गया था जिस पर से उसने आरोपी के विरूद्ध प्र0पी01 की रिपोर्ट लेखवद्ध करा दी थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने उसे रिपोर्ट करने से रोकने के लिए जान से मारने की धमकी दी थी। अ.सा.2 गुडडीबाई ने भी इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने रिपोर्ट करने से रोकने के लिए जान से मारने की धमकी दी थी। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है अभियोजन साक्षीगण ने अपने कथन में यह नहीं बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने फरियादी को रिपोर्ट करने से रोकने के लिए जान से मारने की धमकी दी थी।
- 09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादिव की धारा 190 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक बांस का डंडा मूल्यहीन होने से नष्ट

किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) व्य0 न्याया0 वर्ग—01 एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, चंदेरी

(जफर इकबाल) व्य0 न्याया0 वर्ग—01 एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, चंदेरी